कार्यालय जिला पंचायत धमतरी

//विज्ञापन//

क्रमांक/629/जि.पं./PMAY-G/स्था./2017–18 धमतरी, दिनांक 24–01–2018

अवर सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर का आदेश क्रमांक/3282/आर 1760/22–1/2016 नया रायपुर दिनांक 22.10.2017 एवं अतिरिक्त सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस. भवन, रायपुर के तारतम्य में प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत जनपद स्तर पर स्वीकृत **डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)** के रिक्त पद के संविदा भर्ती हेतु नीचे वर्णित निर्धारित अर्हता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता सहित वांछित अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से सम्पूर्ण दस्तावेज योग्यता एवं अनुभव सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र **दिनांक 07.02.2018 शाम 05.30 बजे** तक केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से जिला पंचायत धमतरी आमंत्रित की जाती है।

क्र	पद का नाम	रिक्त पद की संख्या	वेतनमान प्रतिमाह	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	रिमार्क — विवरण	रिमार्क — अंक
1	2	3	4	5	6	7
01	जनपद पंचायत हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) अजजा. मुक्त 01 **योग 01**	01	**16445/– संविदा एकमुश्त**	1. कक्षा 12 वीं (10 + 2) बोर्ड उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा । 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 का Weightage देते हुए।	20
					कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर (न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य) 100 अंकों का Weightage देते हुए।	65
					शासकीय ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :–	
					न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव	05
					05 वर्ष तक का अनुभव	10
					05 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएँ

नियम एवं शर्ते :–

01. आवेदक को आवेदित पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य योग्यताएं आवेदन तिथि के पूर्व पूर्ण होना आवश्यक है।
02. आवेदन बंद लिफाफे में **कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–धमतरी (छ.ग) को प्रेषित करते हुए केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक** 07-02-2018 तक __________ कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि व समय पश्चात् एवं व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
03. आवेदन पत्र में चस्पा किया गया फोटो तथा संलग्न समस्त दस्तावेज स्वप्रमाणित या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
04. **लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।** आवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार कर समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति एवं आवेदन पत्र के साथ 5.00 रूपये मूल्य का डाक टिकट लगा हुआ स्वयं का पता लिखा 02 लिफाफा संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
05. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए किया जावेगा, आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार किया जा सकता है।
06. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी (संविदा) होगी एवं बिना कारण बताए सेवा समाप्त की जा सकती है।
07. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

08. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अ.जा., अ.ज.जा. एवं महिला उम्मीदवार को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुरूप आयु में छूट की पात्रता होगी।

09. आरक्षित वर्ग के पद हेतु उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।

11. यह संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग.शासन द्वारा जारी संविदा नियुक्ति नियम 2012 के निहित शर्तों के अनुसार होगी।

12. संविदा नियुक्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार की जावेगी।

13. विज्ञापित पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

14. शासकीय/अर्ध्दशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

15. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद अथवा समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

16. उम्मीदवार को अपनी आयु समर्थन में हाईस्कूल की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

17. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं आवेदक के हस्ताक्षर विहीन आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।

18. विस्तृत नियम–शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत–धमतरी एवं कार्यालय जनपद पंचायत–धमतरी/कुरूद/मगरलोड/नगरी के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाईट www.dhamtari.nic.in, तथा www.cg.nic.in/dhamtari पर भी देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत धमतरी

प्रधानमंत्री आवास योजना– (ग्रामीण) हेतु
आवेदन पत्र

नवीनतम स्व–सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें।

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–धमतरी

1	आवेदित पद का नाम	–	....
2	आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में)	–	....
	अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षर में)	–	....
3	पिता/पति का नाम	–	....
4	वर्ग (अना./अजा/अजजा/अपिव)	–	....
5	लिंग (पुरूष/महिला)	–	....
6	जन्मतिथि (अंको में)	–	....
	(षब्दों में)	–	....
7	मोबाईल नम्बर		
8	दिनांक 01/01/2018 को आयु	–	वर्ष..................माह ....दिन......................
9	पत्र व्यहार का पता	–	....
10	स्थायी पता	–	....
11	क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है. ? हॉ/नहीं (यदि हाँ तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	–	....
12	श्रेणी–अनारक्षित /अ.ज.जा./अ.जा. /अ.पि.व. (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करें अन्यथा अनारक्षित माना जावेगा)	–	....
13	क्या अधिकतम आयुसीमा में छूट चाहते हैं ? (यदि हाँ तो किस श्रेणी से उल्लेख करे एवं प्रमाण –पत्र संलग्न करें)	–	....